भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2250
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यकारी परिषद

2250. **श्री वीरेन्द्र सिंह:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां अभी तक कार्यकारी परिषदों का गठन नहीं किया गया है;
(ख) इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संसाधनों के प्रापण और विकास कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के चयन में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;
(ग) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद का गठन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए आदेशों, की गई नियुक्तियों, निष्पादित विकास कार्य और चिकित्सीय एवं शैक्षणिक उपकरणों की खरीद आदि के संबंध में कुलपति द्वारा लिए गए एकपक्षीय निर्णयों की जांच कराने का है; और
(ङ) सरकार द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में चंदन के पेड़ों की कटाई के संबंध में की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): शिक्षा मंत्रालय के अधीन सम्मक्का सरक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा जनवरी 2024 में स्थापित किया गया है, को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यकारी परिषदों का गठन किया गया है।

(ख): केंद्रीय विश्वविद्यालय संसाधनों की खरीद और विकास कार्यों के निष्पादन के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों जैसे सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) कार्य मैनुअल आदि का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का चयन उनके संबंधित अधिनियमों, संविधियों, अध्यादेशों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रासंगिक विनियमों/नियमों के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ): बीएचयू की कार्यकारी परिषद (ईसी) में रिक्तियों के कारण, कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। बीएचयू की कार्यकारी समिति में सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव अग्रिम चरण में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 7 ग की उपधारा (5) के अनुसार, कार्यकारी समिति की बैठक की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा लिए गए निर्णय, अगली कार्यकारी समिति की बैठक में समिति के अनुमोदन/निर्देश के अध्यधीन होंगे।

(ङ): विश्वविद्यालय ने इस मामले में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है। पुलिस की जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी गई है।

*****